



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009)

Web Site-www.ggu.ac.in, ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148, 154

कमांक 76 / अका. / 2016

बिलासपुर, दिनांक 20-5-16

प्रति,

समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष,  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- विद्यापरिषद / स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21-03-2016 के विषय क्रं08 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में।

महोदया,

विषयांतर्गत सूचित करना है कि विद्यापरिषद / स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21-3-2016 के विषय क्रं0-8 में प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय निम्नानुसार लिया है :-

"विश्वविद्यालय पीएच.डी. विनियम के अनुसार पूर्णकालीन शोधार्थियों को पीएच.डी. थिसिस जमा करने तक पूर्णकालीक शोधार्थी के रूप में रहना आवश्यक है। साथ ही पीएच.डी. में नामांकन होने के न्यूनतम 02 वर्ष के बाद भी शोध ग्रंथ (पीएच.डी. थिसिस) जमा किया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूर्णकालिक शोधार्थियों की न्यूनतम रेजिडेंसी आवश्यकता क्या होगी। समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह अनुशंसा की गयी कि शोध विनियम में न्यूनतम 02 वर्ष की रेजिडेंसी अवधि स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया जाय। उक्त के संदर्भ में ऐसे शोधार्थियों का पंजीयन जिन्होंने 02 वर्ष की रेजिडेंसी आवश्यकता पूर्ण नहीं की है, व जो नौकरी में चले गये हैं, उनके पंजीयन जारी नहीं रखे जा सकते, यदि वह पूर्णकालिक रूप से उपस्थित नहीं रहते।"

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति / कुलसचिव जी निज सचिव / निजी सहायक को मान.कुलपति / कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रति।

सहा.-कुलसचिव(अका.)